



भारत का परमाणु कार्यक्रम और इंदिरा गाँधी का योगदान

जयदीप कुमार¹, डॉ. संजय कुमार सिंह²

¹शोधार्थी, इतिहास विभाग, एम.एम.एच. कालिज गाजियाबाद.

²एसो. प्रोफेसर, इतिहास अध्ययन एवं शोध केन्द्र, एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद.



प्रस्तावना :

भारत विश्व के उन चुनिन्दा देशों में से है जिन्हें परमाणु क्षमता सम्पन्न कहा जाता है। 1943 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में एनिश्को फर्मीलियो, स्लीगर्ड ओपेनहाइम सरीखे भौतिकशास्त्री अणु बम के निर्माण के लिए मैनहटन परियोजना में लगे थे, भारत में होमी जहाँगीर भाभा ने उस समय कल्पना की थी कि विद्युत उत्पादन के लिए अणु ऊर्जा का सफलता से प्रयोग होने लगेगा और उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि अभी से आणविक क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य हाथ में लिया जाए तो उचित समय पर भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेशियों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा।¹

पं० जवाहर लाल नेहरू को भाभा द्वारा प्रोत्साहित किए जाने और उनके संयुक्त प्रयत्नों से प्रसिद्ध उद्योगपति श्री दोराब जी टाटा द्वारा एकत्रित अल्प साधनों के माध्यम से 1945 में मुम्बई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी गयी। 1948 में नेहरू जी की इच्छानुसार जब भारतीय परमाणु नीति का प्रारम्भ किया गया तो सर्वप्रथम संसद ने परमाणु शक्ति अधिनियम पास कर लिया था तथा इसके लिए केन्द्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह परमाणु शक्ति के विकास शोध तथा किसी ऐसे खनिज पदार्थ के प्रयोग जो कि परमाणु शक्ति के उत्पादन में प्रस्तुत किया जा सकता है या हो सकता है, को नियन्त्रित करें। इस अधिनियम द्वारा ही भारत की परमाणु नीति को कानूनी ढाँचा मिला। “10 अगस्त, 1948 को डॉ० भाभा की अध्यक्षता में परमाणु शक्ति आयोग का गठन किया गया। जिससे परमाणु शक्ति के सम्बन्ध में देश के हितों की रक्षा की जा सके तथा देश में पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया जा सके।²

भारत के आणविक ऊर्जा के विकास को चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

1. भाभा और नेहरू के व्यक्तिगत प्रयत्न (1948–66)
2. विक्रम साराभाई की संरचनात्मक स्थापना की नीति (1966–71)
3. सेठना और इन्दिरा गांधी की विभाजक नीति (1971–81)³
4. अब्दुल कलाम आजाद (1981–2002)

परमाणु ऊर्जा आयोग ने 1954 में एक निर्णय लिया कि परमाणु अनुसन्धान से सम्बन्धित सभी प्रयोगशालाओं को ट्राम्बे में एक स्थान पर केन्द्रित किया जाए आगे चलकर 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की ट्राम्बे में स्थापना की गई। भाभा के निधन के बाद उनकी स्मृति में स्व. इन्दिरा गांधी ने जनवरी 1967 में इसका नामकरण भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र कर दिया।⁴ डॉ. भाभा इस बात से भलीभाँति परिचित थे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में शक्तिपूर्ण और सामरिक प्रयोग में करने वाली एक बहुत छोटी सीमा रेखा होती है और इसी कारण विदेशी सहायता देने वाले देश कभी भी अपना हाथ वापस खींच सकते हैं। भाभा यह भी जानते थे कि

भारत के पास इन परमाणु संयन्त्रों को चलाने के लिए जरूरी यूरेनियम का यथेष्ट भण्डार नहीं है, इसीलिए उन्होंने भारत में प्रचुर मात्रा में प्रारम्भ किए गए नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1959 में डॉ. भाभा द्वारा यूरेनियम के लिए तीन चरणों वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।⁵

प्रथम चरण—प्राकृतिक यूरेनियम को दबावमुक्त गुरुजल रियेक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग कर उपोत्पाद के रूप में विद्युत और प्लूटोनियम प्राप्त करना।

द्वितीय चरण— प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियेक्टरों का विकास ताकि विद्युत और प्लूटोनियम के साथ थेरियम से यूरेनियम 233 प्राप्त किया जा सके।

तृतीय चरण— थोरियम के प्रयोग द्वारा अतिरिक्त ब्रीडर रियेक्टरों का निर्माण व विकास जिसमें यूरेनियम की अपेक्षा प्लूटोनियम प्राप्त हो सके।

विशिष्ट तथ्य यह था कि प्रत्येक चरण का समान विकास अवश्यम्भावी है और एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए 20 वर्ष या इससे अधिक समय लग सकता है। 1950 के अन्त तक भारत ने नाभिकीय तकनीक प्राप्त कर ली थी लेकिन अहिंसा का आदर्शवाद, आर्थिक विकास की तीव्र आवश्यकता और चीन के साथ सीमा विवाद के हल पं. नेहरू की रूस के प्रति मित्रता की नीति ने नेहरू को नाभिकीय शक्ति की दौड़ से हटने को मजबूर कर दिया।⁶

16 अक्टूबर, 1969 को चीन के परमाणु विस्फोट के बाद भारत की सूचना और प्रसारण मन्त्री इन्दिरा गांधी ने पेरिस टेलीविजन के साक्षात्कार में 22 अक्टूबर, 1969 को वक्तव्य में कहा, कि “मैं नहीं सोचती कि हमें अपनी परमाणु ऊर्जा को केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में करने के लिए ही निर्भर रहना चाहिए।” इसके पश्चात् उन्होंने भारत की इस क्षेत्र में न केवल क्षमता बढ़ाई बल्कि परमाणु विकल्प को खुला रखते हुए नाभिकीय शक्ति बनने के लिए कदम बढ़ाए।⁷

आणविक ऊर्जा कमीशन एक्ट 1962 में आणविक ऊर्जा के निर्माण, विकास, प्रयोग और किसी भी समान को अनुसन्धान स्थल से बाहर ले जाने की अर्थात् स्थानान्तरण के साथ ही साथ आणविक ऊर्जा आयोग को यह भी अधिकार दिया गया कि वह सूचनाओं को सीमाबद्ध घोषित और प्रकाशित कर सके।⁸

शास्त्री जी की मृत्यु के बाद देश की बागडोर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संभाली परन्तु उन्होंने शास्त्री जी द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम तथा परमाणु बनाने के निर्णय स्थगित नहीं किए। जिसके परिणामस्वरूप 18 मई, 1974 को प्रातः 8:05 बजे लोहारकी नामक गाँव के पास पोखरन में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पाँच बड़े राष्ट्रों का एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि भारत ने इस विस्फोट को शान्तिपूर्ण कहा, लेकिन कनाडा ने यह घोषणा की कि वह भविष्य में भारत को तब तक प्रौद्योगिकी में सहायता नहीं देगा, जब तक कि भारत अपने परमाणु संयन्त्रों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं नियन्त्रण के लिए नहीं खोल देता। अमेरिका ने भी 30 वर्षीय समझौते को तोड़कर तारापुर परमाणु संस्थान को दिए जाने वाली ईंधन की आपूर्ति रोक दी।

इन्दिरा गाँधी के काल में परमाणु नीति (सन् 1965 से 1977 तक)–:

मई 1974 से एक लम्बे समयान्तराल तक भारतीय परमाणु नीति अपने शान्तिपूर्ण उद्देश्यों की ओर निरन्तर कायम रही, परन्तु व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के उपरान्त लगातार भारत पर सन्धि हस्ताक्षर करने हेतु दबाव बढ़ते जा रहे थे। दूसरी ओर पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान चीन से अस्त्र-शस्त्र लेकर भारत के विरुद्ध अपने को शक्तिशाली घोषित करने के प्रयास में लगा हुआ था। श्रीमती गाँधी की ओर एक विशेषता यह थी कि वह अपनी नीतियों में शास्त्री जी से भिन्न दिखना चाहती थीं। वह अपनी आन्तरिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपने को नेहरू जी के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना चाहती थीं। उसके लिए भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर निःशस्त्रीकरण का झण्डा उठाना उपयोगी सिद्ध हो सकता था। परन्तु सिर्फ इसी कारण श्रीमती गाँधी ने भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का निर्णय स्थगित नहीं किया। जैसे कि ऊपर इशारा किया जा चुका है कि श्रीमती ऋगाँधी अपने मन में यह जानती थीं, कि भविष्य में परमाणु सैनिक सामर्थ्य हासिल नहीं कर सकता।⁹ उन्होंने इस बात के अथक प्रयत्न किए कि भारत को नुकसान पहुँचाने वाली कोई अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था उस पर थोपी न जा सके। परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करने की

भारतीय नीति इस बात का प्रमाण है। ऐसा नहीं था कि भारत और दूसरे के सन्दर्भ में दो अलग-अलग मानदण्डों का प्रयोग करता था या कि उसने इस मामले के अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना मजूर कर लिया। वस्तुतः यह प्रश्न देश सम्प्रभुता और स्वाधीनता को शत-प्रतिशत बनाए रखने के लिए निर्धारित नीति से जुड़ा हुआ है। भारत इस निष्कर्ष तक पहुँचने वाला देश नहीं। उसे इस विषय में ब्राजील जैसे अन्य राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग भी मिला।

श्रीमती गाँधी की नीति, सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल थी। उन्होंने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि देश की रक्षा और सुरक्षा भारत सरकार की परमाणु नीति के निर्माण में मुख्य एवं स्थायी प्रेरित तत्व रहे। उन्होंने पुनः स्पष्ट घोषित किया कि परमाणु नीति के सम्बन्ध में हम अपने विकल्प खुले रखेंगे। जहाँ भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस क्षेत्र में अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए कृत-संकल्प था, वही उसके वैज्ञानिकों का वांछित योगदान उसे नहीं मिल सका। उदाहरणार्थ भारतीय वैज्ञानिकों ने न तो किसी परमाणु भट्टी का स्वदेशी डिजाइन तैयार किया और न ही भारी पानी के उत्पाद या यूरेनियम संवर्द्धन का आत्मनिर्भर प्रक्रिया का विकास हो सका। परमाणु ऊर्जा के सामरिक उपयोग की बात को छोड़िये, परमाणु शक्ति से बिजली ऊर्जा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जा सके। इस सबको देखते हुए भारत के समक्ष परमाणु विकल्प को बनाए रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।¹⁰

पोकरण विस्फोट-:

18 मई, सन् 1974 को परमाणु नीति के विश्लेषकों को एक नाटकीय धमाका सुनने को मिला। भारत सरकार की ओर से दावा किया कि यह शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, जिसका अर्थ कदापि यह नहीं था कि भारत परमाणु बम निर्माण के काम में लगा रहा है, वस्तुतः भारत सरकार का यह दावा था कि वह सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण की नीति पर दृढ़ता से कायम है।¹¹ जब आलोचकों ने यह कहना शुरू किया कि परमाणु विस्फोट आखिर शान्तिपूर्ण कैसे हो सकता है तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यह कहना आरम्भ किया कि पोकरण में विस्फोट नहीं, अन्तःस्फोट किया गया। परन्तु इस शब्दजाल से कोई भी नीतिगत लाभ नहीं उठाया जा सका। पोकरण के बाद इस संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि भारत परमाणु बम का निर्माण नहीं कर सकता है। इजराइल और दक्षिणी अफ्रीकी जैसे देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात का लाभ उठाते रहे हैं कि क्षमता और सामर्थ्य प्रदर्शित करने के बाद परमाणु बम के सन्दर्भ में परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

भारत सरकार ने यह दर्शाने का भरसक प्रयत्न किया कि पोकरण के बाद विदेशी भारत की कथनी और करनी में कोई द्वन्द्व या अर्त्तद्वन्द्व न दिख सकें। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में रेखांकित किया कि भारत की विकास परियोजनाओं को सम्पन्न करने के लिए इस तरह की तकनीकी सामर्थ्य प्राप्त करना एक अनिवार्यता थी। बड़े पैमाने पर पहाड़ तोड़ने, जमीन खोदने और भूगर्भशास्त्रीय गवेषणाओं के लिए शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट की विशेष उपयोगिता बतलाई गई। इस सन्दर्भ में यह बात आसानी से अनदेखी की जाती रही कि रूस के बाहर किसी अन्य परमाणु सम्पन्न देश में परमाणु ऊर्जा का ऐसा उपयोग नहीं किया गया।

पोकरण परीक्षण के बाद भारत के लिए दक्षिण परिप्रेक्ष्य में अपने पड़ोसी देशों के साथ परमाणु मुक्त क्षेत्र के विषय में अपनी नीतियों का तालमेल बिठाना दुरूह रहा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव भी उनके इस निर्णय को पुष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ। सन् 1971 में भले ही भारत ने अमेरिका की इच्छा के खिलाफ बांग्लादेश को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी, और अमेरिका ने उसे आधे-अधूरे मन से ही दक्षिण एशिया की प्रभुत्व शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया था, किन्तु सन् 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीनी यात्रा के बाद अमरीका-चीन सम्बन्धों में बहुत तेजी से सुधार हुआ और भारत की स्थिति एक बार फिर संकटग्रस्त न सही, निरापद रही। पोकरण विस्फोट का एक लक्ष्य यह भी था कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ-साथ किसिंजर निक्सन की अमेरिकी सरकार तक को यह संदेश पहुँचाया जा सके कि भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

पोकरण परीक्षण के बाद परमाणु बम के निर्माण में निश्चित ही भारत की सैनिक सामरिक उपेक्षा सहज नहीं, परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पोकरण परीक्षण के बाद अन्तर्राष्ट्रीय (अमरिकी व पश्चिमी) दबावों का सामना करने में भारत सफल रहा। इसमें निश्चय ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की नेतृत्व क्षमता का महान योगदान था।

संदर्भ सूची

1. इन्द्र प्रकाश, न्यूक्लियर , राष्ट्र प्रहरी प्रकाशन, गाजियाबाद, 2015, पृष्ठ 121.
2. घई, यू. आर., भारतीय विदेश नीति : न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग, जालन्धर, 1998, पृष्ठ 575
3. शर्मा, धीरेन्द्र, इंडियन न्यूक्लियर स्टेट लारंस पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 16 व 36-37
4. वही, पृष्ठ 16
5. चेलानी, ब्रह्म, स्ट्रेटिजिक एनालिसिस, आई. डी. एस. ए. दिल्ली, अगस्त, 1999, पृष्ठ 751
6. पन्त, पुष्पेश, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1993, पृष्ठ 536
7. चेलानी, ब्रह्म, वही, पृष्ठ 752
8. पन्त, पुष्पेश, वही, पृष्ठ 536
9. कौशिक, बी. एम., इण्डियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, साउथ एशियन स्टडीज, वॉल्यूम. 3, जयपुर, जनवरी 1968, पृष्ठ 67-82
10. पन्त, पुष्पेश, वही, पृष्ठ 416
11. पन्त, हरगोविन्द, भारत की शक्ति साधना, ज्ञान-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 1998. पृष्ठ 124